

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

223RTA2019-00364Ju2019-146 Fakirram Vs Maheshchandra etc

फकीरराम पुत्र श्री लादूराम जाति सांसी, निवासी- ग्राम गाडना,  
तहसील बाप, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

01. महेशचन्द्र पुत्र धनसुखलाल
02. रमेशचन्द्र पुत्र धनसुखलाल  
जातियान् कबुतरवाला, निवासी- एकता तीन, त्रिनिधी  
अपार्टमेंट के सामने घोड़ा दौड़ रोड़, सुरत, गुजरात।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला  
जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री  
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप  
दिनांक 23 मई 2018 राजस्व वाद संख्या 23/2018  
फकीरराम बनाम महेशचन्द्र इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट  
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3

निर्णय

दिनांक : 09 दिसंबर, 2022

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड  
अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2018 फकीरराम बनाम  
महेशचन्द्र इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 मई 2018 के  
खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 28 नवंबर 2019 को प्रस्तुत की  
है।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर

अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम अपील प्रस्तुति में हुई देरी का माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। एक अन्य प्रार्थना पत्र बाबत डिक्री पर्चे में छूट देने बाबत पेश कर डिक्री पर्चा पेश करने की छूट प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम गाडना के खसरा नं. 131 कुल रकबा 1415 बीघा भूमि में से 110 बीघा भूमि पर वादी का वक्त बंदोबस्त से पूर्व कब्जा एवं काश्त निरन्तर चला आ रहा है। उक्त खसरा संपूर्ण वक्त बंदोबस्त 1415 बीघा करणीदान पुत्र कालूदान के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि इसमें से 100 बीघा भूमि पर वादी अपीलार्थी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। करणीदान द्वारा मौके पर संपूर्ण रकबे पर कब्जा नहीं होने के कारण उक्त भूमि को जरिये बंटवाड़ा अपने पुत्रों में बांट दी तथा पुत्रों द्वारा आगे अजनबी क्रेतागणों को बेचाननामें निष्पादित कर दिये लेकिन वास्तव में वाद के साथ सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार 110 बीघा भूमि पर इस खसरे में वादी का ही कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है, इस कारण वादी को 110 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दरखलंदाजी नहीं करे। विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर आगामी पेशी में ही पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प बड़ी सीड में रखकर खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। वादी अपीलार्थी द्वारा घोषणा का वाद पेश किया था, जिसमें प्रतिवादीगण का नोटिस तामील ही नहीं हुआ था न ही कोई जवाब दावा प्राप्त हुआ था, न ही तनकीयात कायम की गई, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद साक्ष्य सबूत के अभाव में खारिज करने में भयंकर कानूनी भूल की है। पत्रावली साक्ष्य में कभी रखी ही नहीं गई थी न ही वादी को कोई साक्ष्य पेश करने का मौका दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपने मन माफिक तरीके से पत्रावली को लोक अदालत कैम्प में रखकर खारिज करने में विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखने बाबत वादी को कोई नोटिस जारी नहीं किये न ही वादी का अधिवक्ता उपस्थित था। फिर भी गलत रूप से वादी के अधिवक्ता की उपस्थिति बताकर उनकी बहस सुनना बताकर वाद को खारिज कर दिया गया। जबकि पत्रावली बहस स्तर पर मुकर्रर ही नहीं थी। राजस्व लोक अदालत कैम्प में आपसी समझाईस से राजीनामे के आधार पर मामले में पक्षकारों की मौजूदगी में निर्णय पारित किया जा सकता है, गुणावगुण पर बिना वादी के उपस्थिति के मामले का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा केवल फेसले के आंकड़े बढ़ाने के उद्देश्य से वादी के वाद को सरसरी तौर पर खारिज करने में भयंकर कानूनी भूल की है। उक्त निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से भी खारिज करने योग्य है। वादी के वाद को साबित करने का भार वादी पर था, लेकिन वाद को साबित करने का अवस्था में ही नहीं था। यहां तक किसी प्रतिवादी को कोई जवाब दावा भी पत्रावली पर नहीं था।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर

विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 से 22 की अवहेलना करते हुए एक नियमित वाद की पत्रावली में निहित कानूनी प्रक्रिया को बिना अपनाये अपीलार्थी निर्णय एवं डिक्री पारित किया है जो बहाल रखने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर वकील अपीलांट के कथन है कि वादी का वाद विचारण न्यायालय में दिनांक 11.02.2018 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर आगामी दो पेशी में ही पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प बड़ी सीड में रखकर दिनांक 23.05.2018 को खारिज कर दिया गया। पत्रावली को लोक अदालत में रखने बाबत अपीलार्थी को कभी नोटिस नहीं दिया गया। दिनांक 09.10.2019 को प्रतिवादी संख्या एक के व्यक्ति द्वारा अपीलार्थी को मौके पर आकर कब्जा हटाने की धमकी दी तब अपीलार्थी द्वारा कहा कि मैं 110 वर्षों से यहां बैठा हूँ तथा इस भूमि की खातेदारी हेतु मेरा दावा चल रहा है, तब प्रतिवादी संख्या एक के व्यक्ति ने बताया कि कोई दावा नहीं है, अगर है तो कॉपी लाकर थाने में बता देना नहीं तो मैं पुलिस के जरिये आपका कब्जा हटा दूंगा। तब अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 10.10.2019 को वाद की नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 10.10.2019 को ही प्राप्त हो गई, जिसको पढ़ने से ज्ञात हुआ कि उक्त वाद को ही राजस्व लोक अदालत में रखकर खारिज कर दिया गया। प्रथम जानकारी से यह अपील अंदर म्याद पेश की गई है।

प्रार्थना पत्र बाबत डिक्री पर्चे की छूट देने बाबत पर वकील अपीलांट का कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद खारिज करते वक्त निर्णय में डिक्री पर्चा जारी होने का लिखा गया है जो आज दिन तक नहीं बनाया गया है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अंतिम भाग को डिक्री पर्चा मानते हुए अपीलार्थी की अपील को धारा 223 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम में दर्ज कर सुनवाई की जावे तथा डिक्री पर्चे की छूट प्रदान करावे।

अंत में अपीलांत के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जावे तथा गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 मई 2018 को खारिज किया जावे तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वादी के वाद में जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य ली जाकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जहां अपील पेश करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांतस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पत्रावली को कोर्ट कैम्प राजस्व अदालत में रखकर निस्तारित किया जाना पाया जाता है। भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में वर्णित बिन्दुओं एवं इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा की गयी बहस पर विश्वास करते हुए मियाद-प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय डिक्री पर्चा जारी किये जाने का आदेश पारित किया है जो विचारण न्यायालय की पत्रावली पर

उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र बाबत डिक्री पर्चे में छूट देने बाबत स्वीकार किया जाकर डिक्री की छूट प्रदान की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अंतिम भाग को डिक्री पर्चा माना जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2018 को वादी/अपीलांत द्वारा प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली प्रतिवादी के जवाब में चल रही थी। पत्रावली दिनांक 23.05.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2017 कैम्प ग्रा.प. बड़ी सीड में रखी गयी, जिसकी सूचना पक्षकारान् दिये जाने अथवा नोटिस जारी किये जाने का उल्लेख पत्रावली पर नजर नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को लोक अदालत केम्प बड़ी सीड में रखे जाने की आदेशिका के विपरीत अपीलाधीन निर्णय में लोक अदालत केम्प कोर्ट न्यायालय हाजा लिखते हुए वादी/अपीलांत को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 मई 2018 को खारिज किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रतिवादी का जवाब प्राप्त

राजस्व अपील प्राधिकारी

मामले में तनकीयात कायम करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



09.12.2022  
(मंगलाराम पूनिया)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर